प्रेषक,

संख्याः नि0 114/3–5(जंगली जानवर सरकारी कर्म0)

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in /
फोन/फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

देहरादून दिनांक 20 जुलाई, 2021

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–101–07–00– जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल पर क्षतिपूर्ति" हेतु बजट का आवंटन।**

संदर्भ :– शासनादेश सं0–1334/X-2-2021-12(30)2012 दिनांक 13 जुलाई,2021(**छायाप्रति संलग्न**)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित **शासनादेश** एवं उसके साथ संलग्न **अलॉटमेंट आई.डी. S21070270009** दिनांक 13.07.2021 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना **"2406–01–101–07–00– जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल पर क्षतिपूर्ति"** के अन्तर्गत स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष शासन **अवमुक्त धनराशि ₹3,00,00,000/–(₹तीन करोड़ मात्र)** को विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि **₹3,00,00,000/–(₹तीन करोड़ मात्र)** का **IFMS पोर्टल** के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को **ऑन लाइन निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों** के साथ बजट का आवंटन करते हुये **प्रिन्ट आउट** की **हस्ताक्षरित प्रति** संलग्न कर प्रेषित की जाती है:–

1–समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा संदर्भित शासनादेश में **उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों** का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

2–अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–**423/09(150)-2019/ XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021** में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3–अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें यदि योजना से इतर कार्यो को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4–कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5–आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि **मजदूरी** तथा **व्यवसायिक सेवाओं** के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत **आउटसोर्सिंग से कार्मिकों** की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा **वित्त विभाग** की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो के अन्तर्गत ही रहेगी।

6–अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल),उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) **नियमावली 2017**, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– धनराशि का सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

8–बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

9–योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान निमयों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहॉ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।

10–आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4** में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक** प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

–2/–

संख्याः नि0 114 (1)/ 3–5(जंगली जानवर सरकारी कर्म0) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।

2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को **IFMS पोर्टल** के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को **ऑन लाईन आवंटित बजट** की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

7– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 113/3–5(अधि0/कर्म0 मानव सं0विकास)

प्रेषक,

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Dehradun(0100)

DDO-Adl PCCF Planing Fin Mgmt UK(4254)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-114/3-5

अनुदान संख्या-027

आवंटन आई डी-H21070270180

आवंटन पत्र दिनांक-20-JUL-2021

लेखा शीर्षक	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	01-Forestry
	101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	07-जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षति पूर्ति(2406-01-800-09 से स्थानान्तरित)
	00-0	Voted

2	4	0	6	0	1	1	0	1	0	7	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	30000000	0	30000000
योग	0	30000000	0	30000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,00,00,000 (Rupees Three Crores Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2107:0180

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून